कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/डी/विविध/2019 दिनांक : 11.07.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय
एवं
समस्त संस्था प्रधान
मावि/उमावि

विषय : विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदन तथा वितरण हेतु पूरक दिशा–निर्देश।
प्रसंग : शिक्षा (ग्रुप–6)विभाग के पत्रांक : प.19(2)शिक्षा–6/2017 दिनांक 26.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रतिवर्ष विभाग में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन प्राप्त करने से लेकर छात्रवृत्तियों के वितरण तक का कार्य सम्पादित किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रभावी नियम–निर्देश आदि की पालना आप द्वारा की जाती है साथ ही प्रतिवर्ष योजनावार विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग की वैबसाईट पर भी जारी किए जाते हैं।

वर्ष 2019–20 के लिए पूरक दिशा–निर्देश बिन्दुवार निम्नांकित हैं जिनकी पूर्णतया पालना की जानी अपेक्षित है:–

1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदन तथा वितरण हेतु एक समयबद्ध कलेण्डर बनाया जाकर परिपत्र के रूप में दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया है। उक्त परिपत्र विभागीय वैबसाईट educatin.rajasthan.gov.in/secondary तथा समग्र शिक्षा अभियान की नई वैबसाईट rajsmsa.nic.in पर सहज सुलभ है। उक्त कलेण्डर का भलीभांति अध्ययन कर तदनुसार समयबद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रो के अपलोडेशन की नवीन प्रक्रिया का यूजर मैनुएल समस्त संस्थाप्रधानों के लिए जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी के प्रवेश के साथ ही तदनुसार शालादर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। (सुलभ सन्दर्भ के लिए यूजर मैनुएल इस पत्र के साथ संलग्न है।)
3. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन के समय अत्यधिक दस्तावेजीकरण को कम करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में प्रथम बार प्रवेश के समय ही विद्यार्थी से आवश्यक कागजात प्राप्त कर लिए जावें, इन दस्तावेजों को प्रतिवर्ष विद्यार्थी से नहीं मांगा जावे। स्थाई प्रकृति के निम्नांकित दस्तावेज एक बार ही प्राप्त किए जाने अपेक्षित है :– 1.विद्यार्थी के मूल निवासी प्रमाण–पत्र की प्रति, 2.विद्यार्थी के जाति प्रमाण–पत्र की प्रति, 3.विद्यार्थी के आधार की प्रति, 4.विद्यार्थी के भामाशाह कार्ड की प्रति एवं 5.विद्यार्थी की बैंक पासबुक की प्रति।
4. विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदन के समय माता–पिता/संरक्षक का आय सम्बन्धी घोषणा–पत्र राज्य में अन्य विभागों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ही प्रभावी होगा। आय सम्बन्धी घोषणा पत्र जो कि दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/ प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगरनिगम सदस्य/नगर पालिका सदस्य/राजकीय अधिकारी/राजकीय कर्मचारी इत्यादि) से अभिशंषा पश्चात् प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्टेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक)का नाम व पद मय मुहर)से प्रमाणित हो स्वीकार्य होगा। यह प्रपत्र एक पृष्ठ में विभिन्न छात्रवृत्तियों के विस्तृत दिशा–निर्देशों के साथ विभागीय वैबसाईट पर सहज उपलब्ध है।

इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के साथ उपरोक्त निर्देशों की समयबद्ध अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे।

(संजय सोनार)
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग,कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

11.7.19

सहायक निदेशक छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

स्कॉलरशिप मॉडुल की कार्यविधि

1. Scholarship टैब के अंदर र्वप्रथम Indenetification and Scholorship पर क्लिक करने पर निम्नलिखित विंडो खुलेगी जि मे कक्षा तथा `क्शन `क्लेक्करके Go पर क्लिक करेंगे|

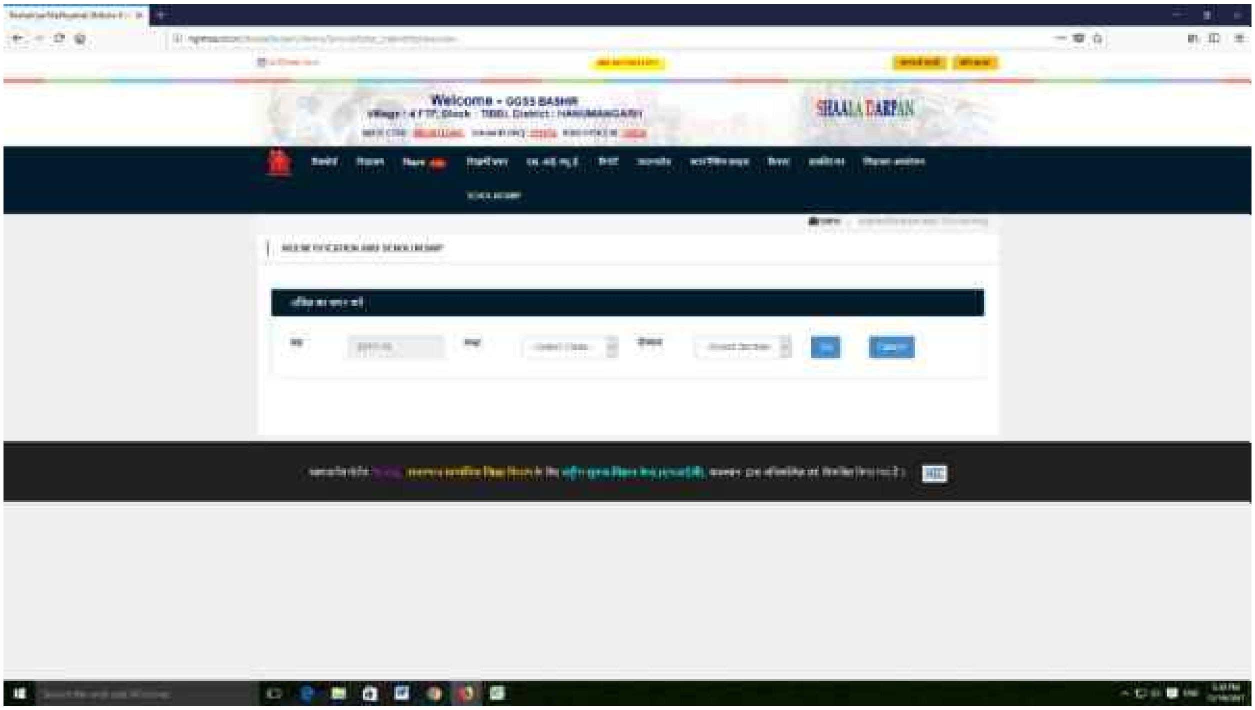

2- Go पर क्लिक करतेही उ कक्षा के रे विद्यार्थियोंकी ूची निम्नानु र दिखाई देगीजि में `आपको प्रत्येकविद्यार्थी हेतु छात्रवृति के लिए पात्र, छात्रवृति के लिए अपात्र , छात्रवर्ती के लिए आवेदननहींकरना चाहता /चाहती में `उचित का चयन करना हैंतथा नीचेदिए गयेबटन "Transfer to Scholarship " पर क्लिक करना हैं | छात्रवृति हेतु चयनित विद्यार्थियोंकी ूची नीचेप्रदर्शितहो जाएगी | यदि गलत विद्यार्थी का चयन हो जाता हैंतो "छात्रवृति के लिए पात्र विद्याथियों की ूची " में मनेस्थित बटन ` EDIT किया जा कता हैं |

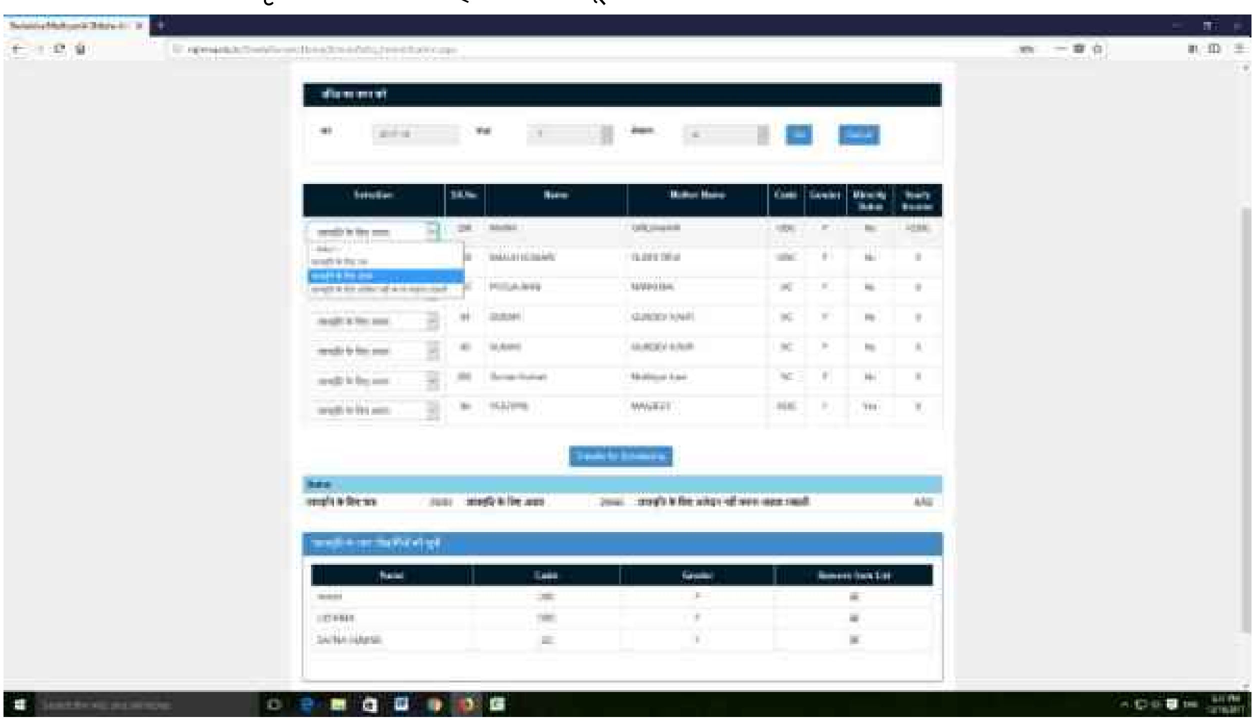

3. विद्यार्थी चयन के पश्यात Verify Details for Scholarship में जाने पर निम्नलिखित विंडों खुलेगी जि में कक्षा `लेक्क्ट करने पर उ कक्षा के छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थियों की ूची दिखाई देगी जि में विद्यार्थी के नाम के ामने View/Update Detail पर क्लिक करेंगे |

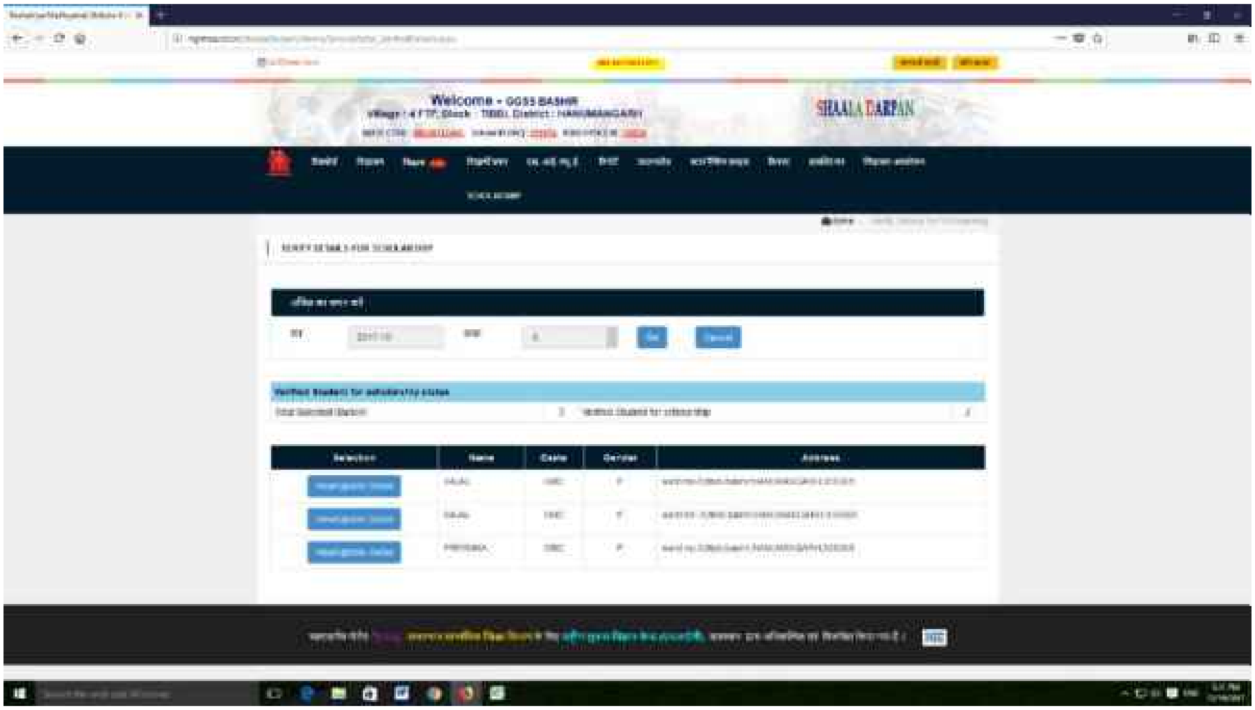

4- View/Update Detail पर क्लिक करते ही निम्नलिखित विंडो खुलेगी जि में क्रमशः पांच भाग होंगें - Basic Information, Adhar/Bhamasah Information , Bank Information ,Document Verification ,Update Yearly Information नमे विद्यार्थी का ShaalaDarpan पर मौजूद विवरण दिखाई देगा | इ विवरण में कि ी प्रकार के ुधार हेतु विद्यार्थी विस्तृत विवरण (प्रपत्र -9) में जाकर अपडेट करेंगे | शेष ूचनाए भरी जाकर प्रत्येक भाग को Update बटन दवरा Update करेंगे | तारांकित Filed भरना अनिवार्य हैं |

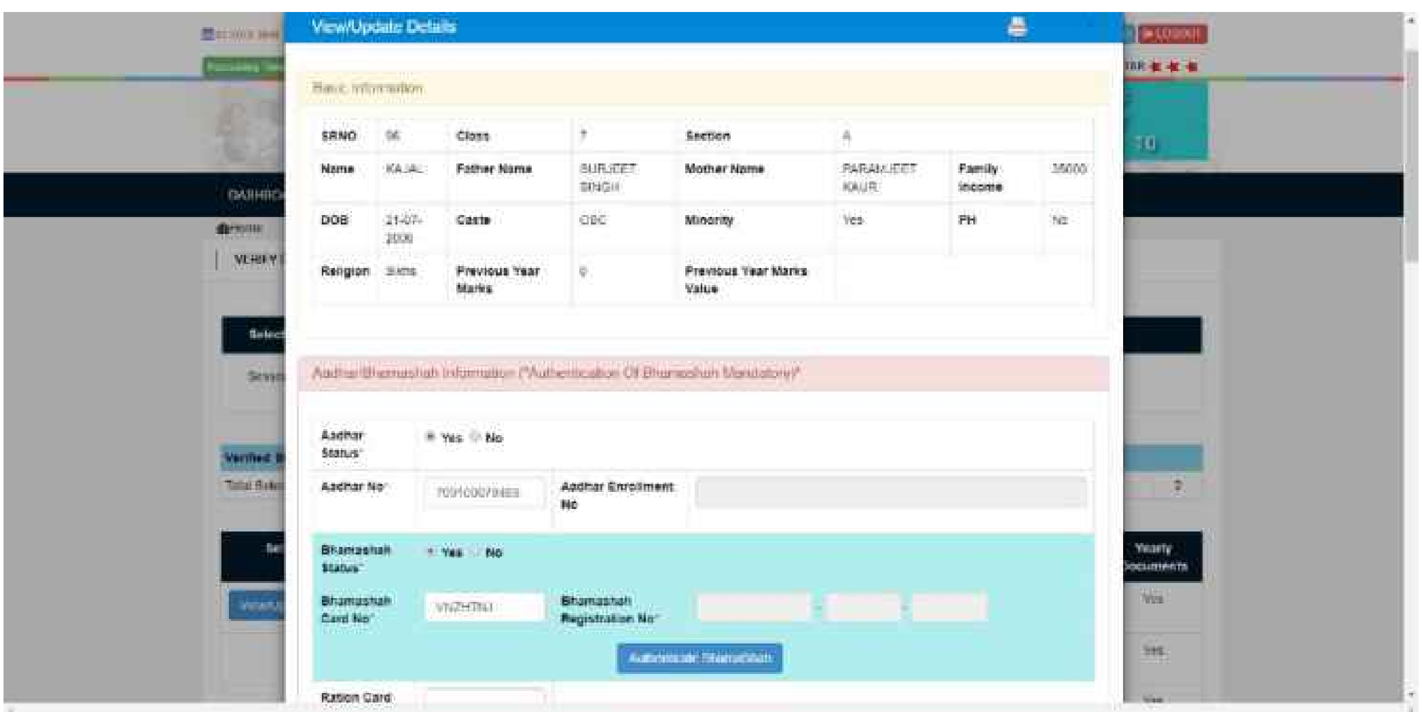

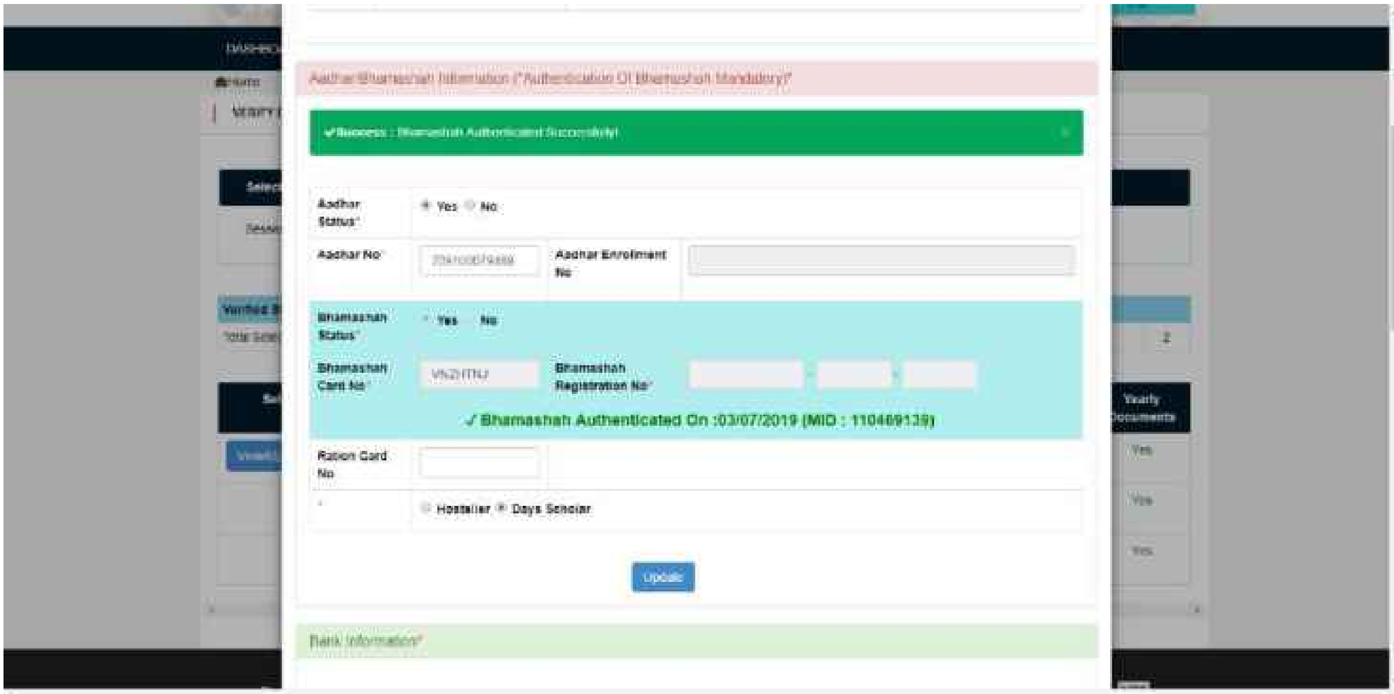

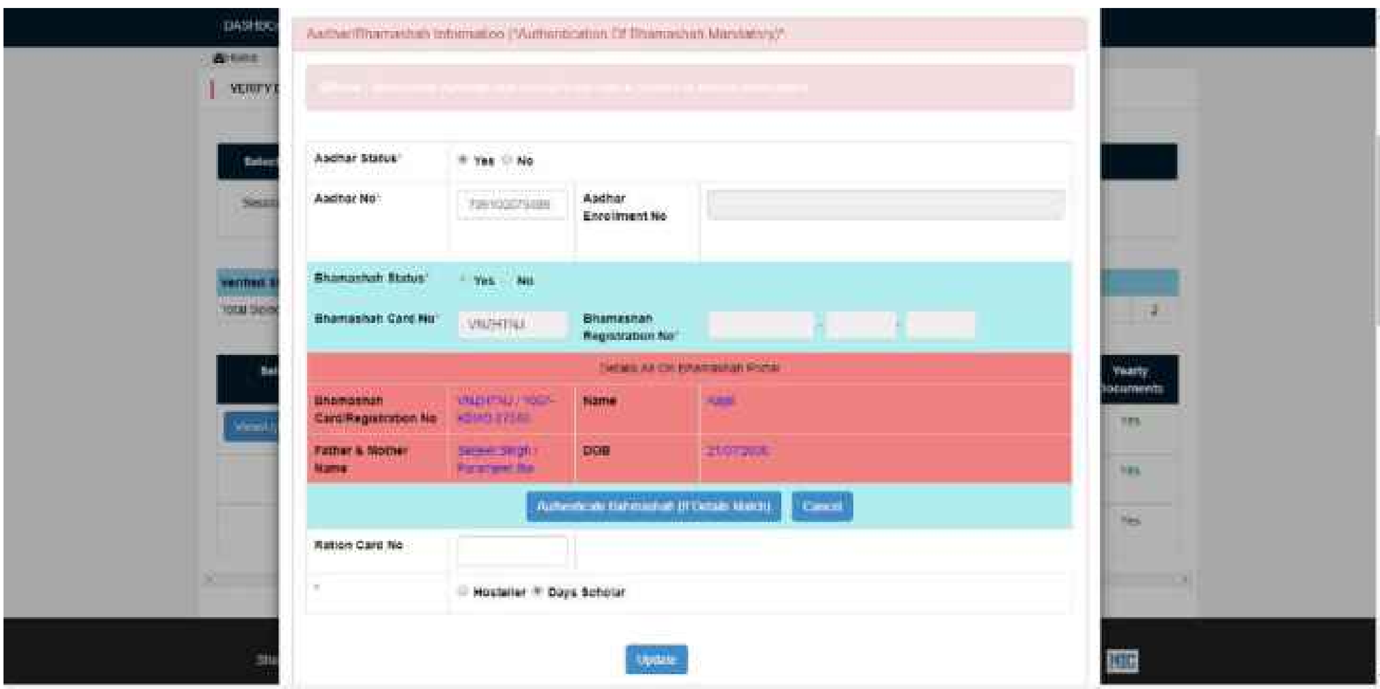

For bhamashah authentication click on Authenticate button. If all details including - Student Name, Bhamashah Card or Bhamasha Ack Id, Aadhar (Optional) are matched then Automatic Authentication is done else if any information is mismatched then depending on information provided by school actual data from bhamashah portal is shown and then manual authentication can be done.

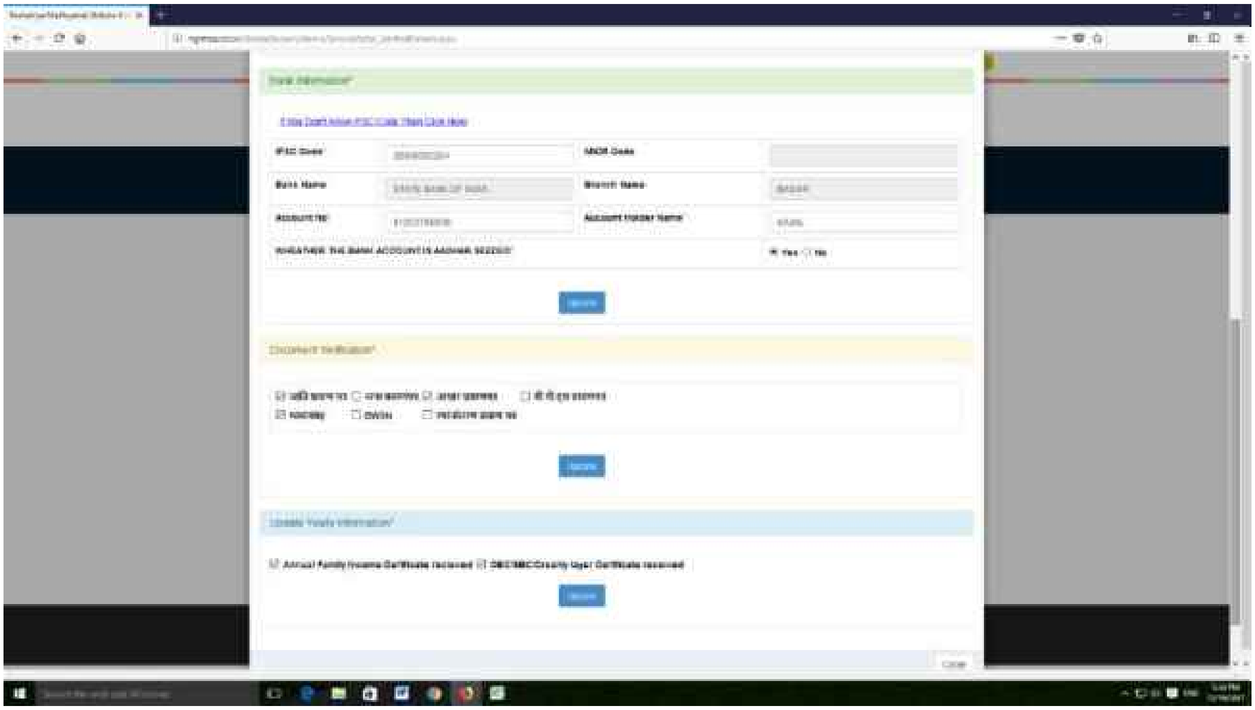

5. SCHOLARSHIP APPLICATION में जाने पर निम्नानु ार विंडो खुलेगी जि मे कक्षा का चयन कर SCHOLARSHIP TYPE में छात्रवृति के प्रकार का चयन करें तथा GO पर क्लिक करने पर निचे विदयार्थियों की ूची प्रदर्शित होगी उ में ` छात्रवृति के विद्यार्थियों का चयन करें तथा SAVE करें | इ ी प्रकार अन्य छात्रवर्तीयों के लिये भी विद्यार्थीयो का चयन करें |

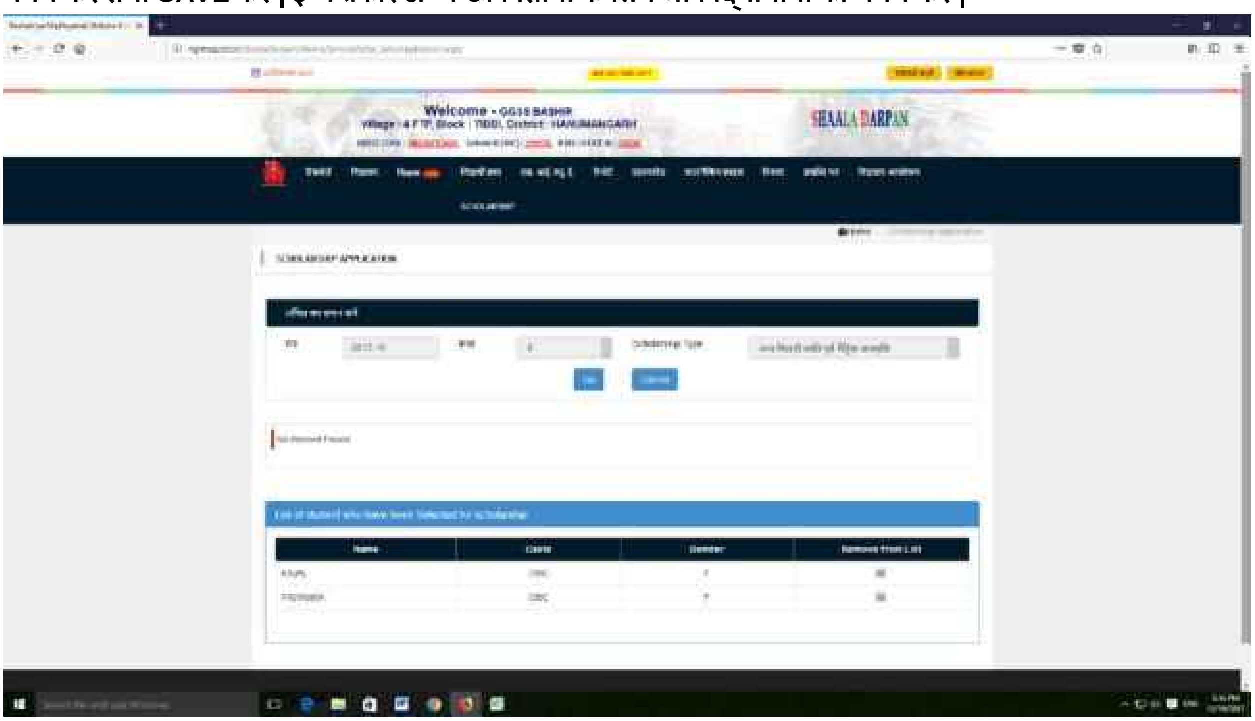

6. Scholarship Summarry Report में जानेपर निम्नानु ार विंडोखुलेगी ,जि में आप दवरा छात्रवृति हेतु चयनित विद्यार्थियोंकी ूची होगी, जि मेंविद्यार्थी के नाम के ामनेउ के लिए चयनित छात्रवृति का नाम होगा

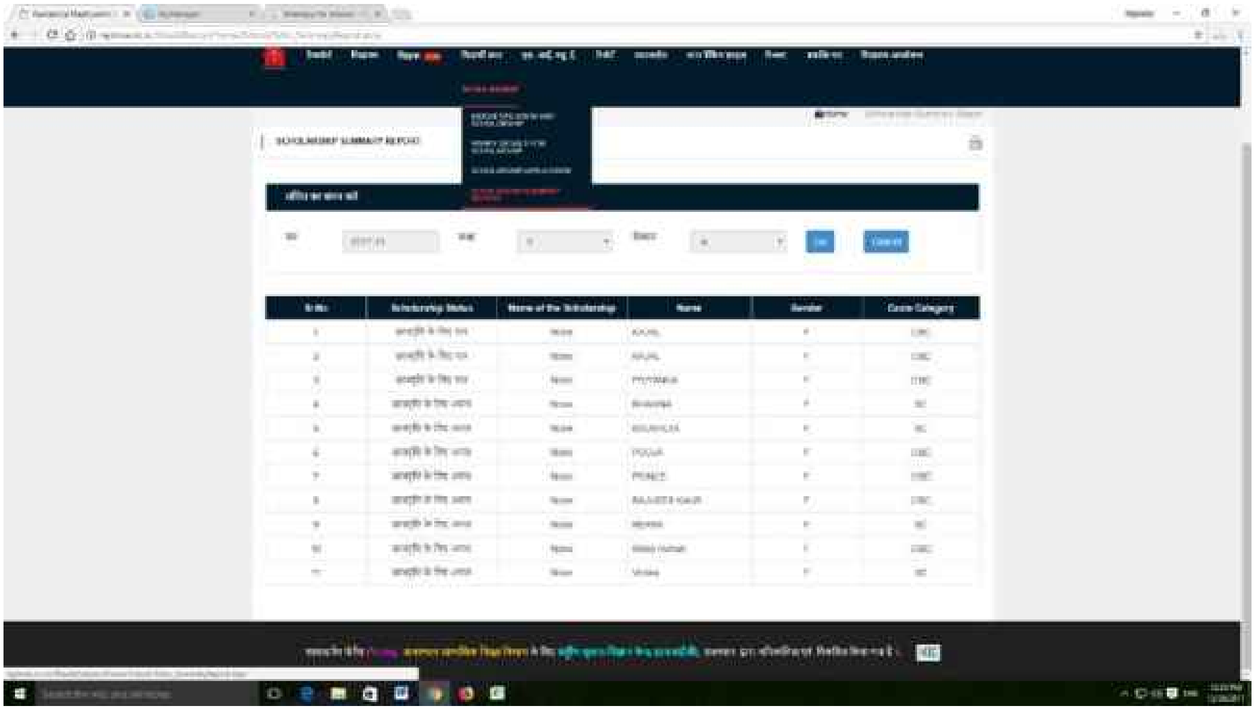

7. छात्रवृति Scholarship **FINAL SUBMIT :-** इ विकल्प में छात्रवृति हेतु चयनित विद्यार्थीयों के नाम प्रदर्शितहोगेजिनके आगेविद्यार्थियोंको मिलनेवाली छात्रवृति राशि भरनी हैंतथा FINAL SUBMIT बटन पर click करना हैं | ारा विवरण ही होनेपर "हाँ " बटन पर क्लिक करतेही ंस्थाप्रधान के मोबाइल नंबरपर OTP आएगा जो स्क्रीन पर प्रदर्शितहो रहे फील्ड में डालकर Submit करनेपर डाटा लॉक हो जायेगा |

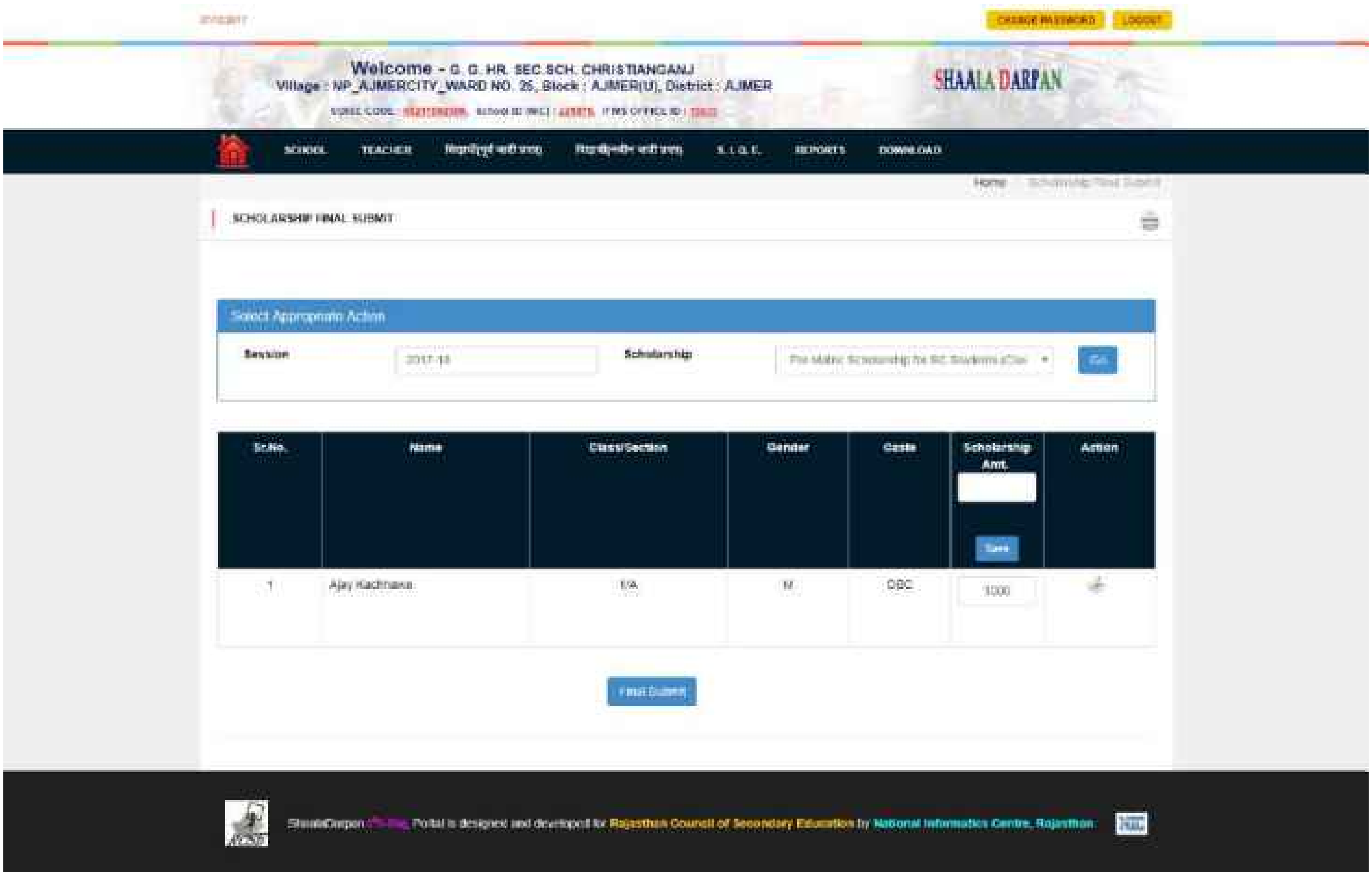

छात्रवृति हेतु निर्धारितराशि विवरण -

शालादर्पण के माध्यम से प्रकिया की जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण

क्र.स.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	Name of Scholarship Scheme	न्यूनतम वार्षिक भुगतान	अधिकतम वार्षिक भुगतान
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6 से 8)	Pre Matric Scholarship for SC Students (Class 6 to 8)	75.00	1250.00
2	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6 से 8)	Pre Matric Scholarship for ST Students (Class 6 to 8)	75.00	1250.00
3	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 9 से 10)	Pre Matric Scholarship for SC Students (Class 9 to 10)	150.00	6250.00
4	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 9 से 10)	Pre Matric Scholarship for ST Students (Class 9 to 10)	150.00	2250.00
5	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	Pre-Matric Scholarships to the Children of those Engaged in occupations involving cleaning and prone to health hazards.	110.00	8000.00
6	अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	Pre Matric Scholarship for OBC Students	40.00	5500.00
7	विशेष पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	Pre Matric Scholarship for OBC (Special Group-SBC) Students	50.00	1200.00
8	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृति	Scholarship for Talented Daughters of Ex-Servicemen	100.00	1000.00
9	प्री–कारगिल युद्ध (01.04.99 से पूर्व) युद्धो में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों की छात्रवृति	Scholarship for wards of soldiers sacrificed their life or permanently disabled in Pre Kargil Wars (Before 01.04.99)	180.00	1800.00
10	कारगिल युद्ध के पश्चात (01.04.99 के पश्चात) युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों की छात्रवृति	Scholarship for wards of soldiers sacrificed their life or permanently disabled after Kargil War (After 01.04.99)	180.00	1800.00

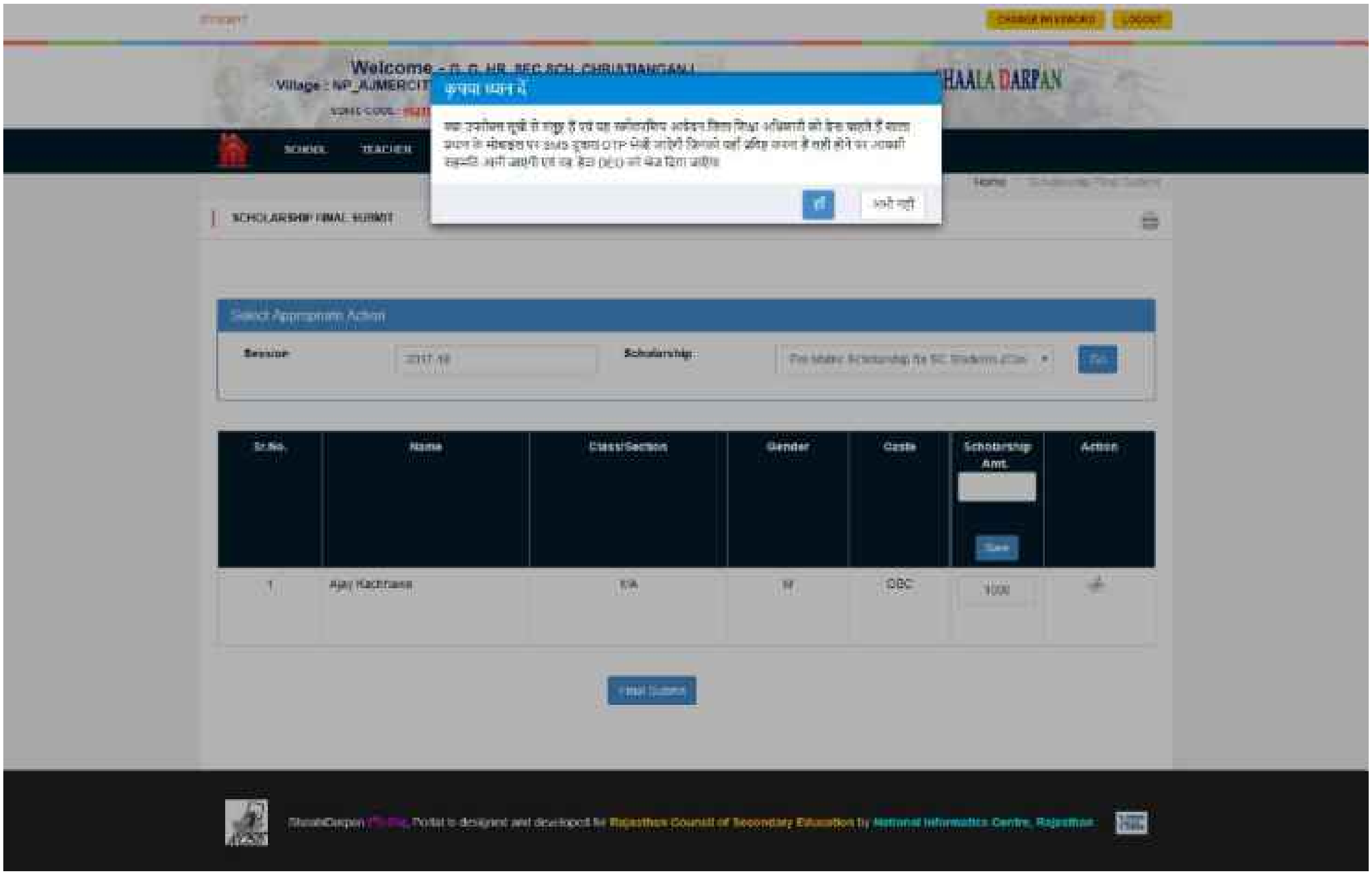

www.rajteachers.com

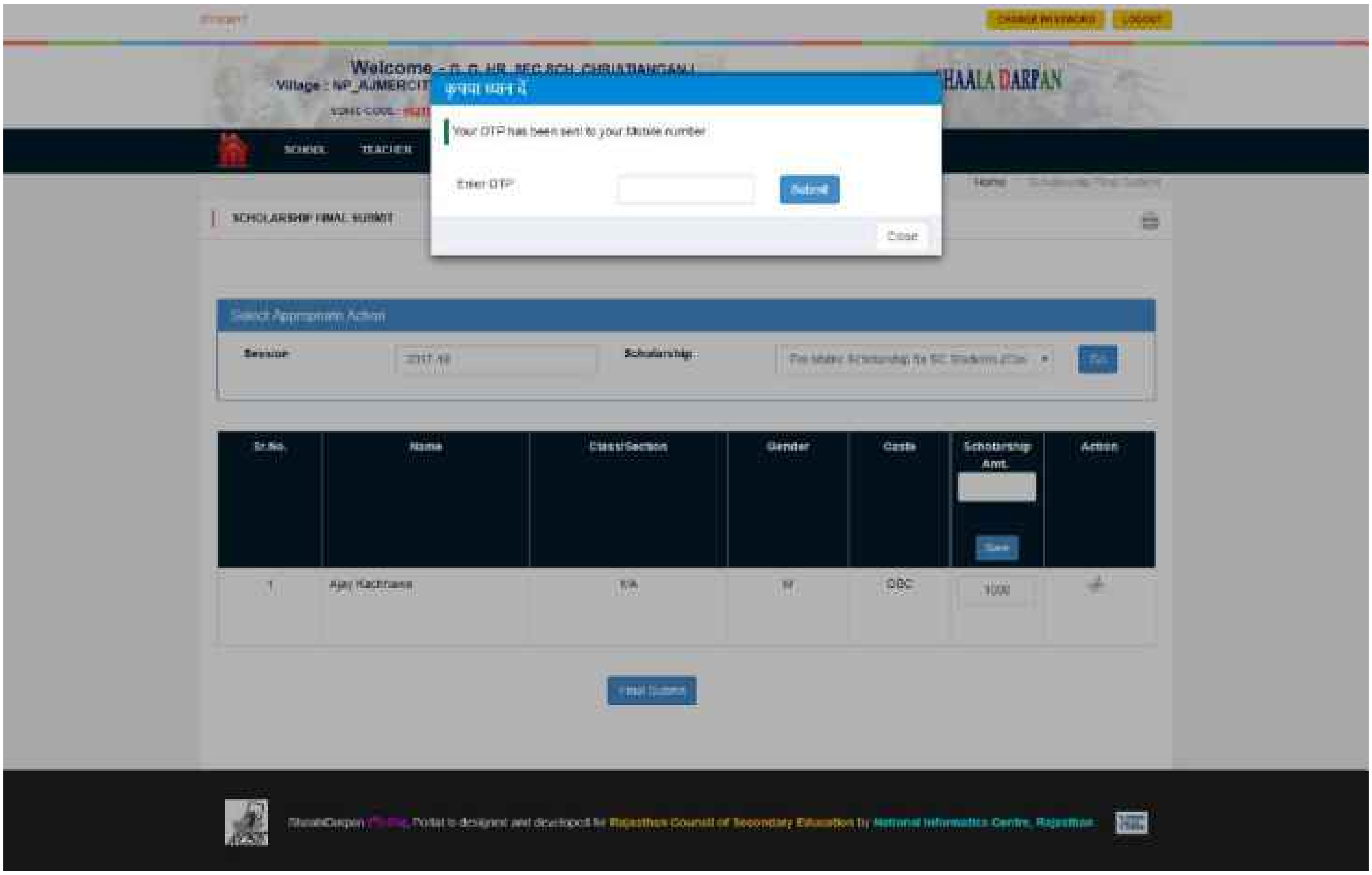

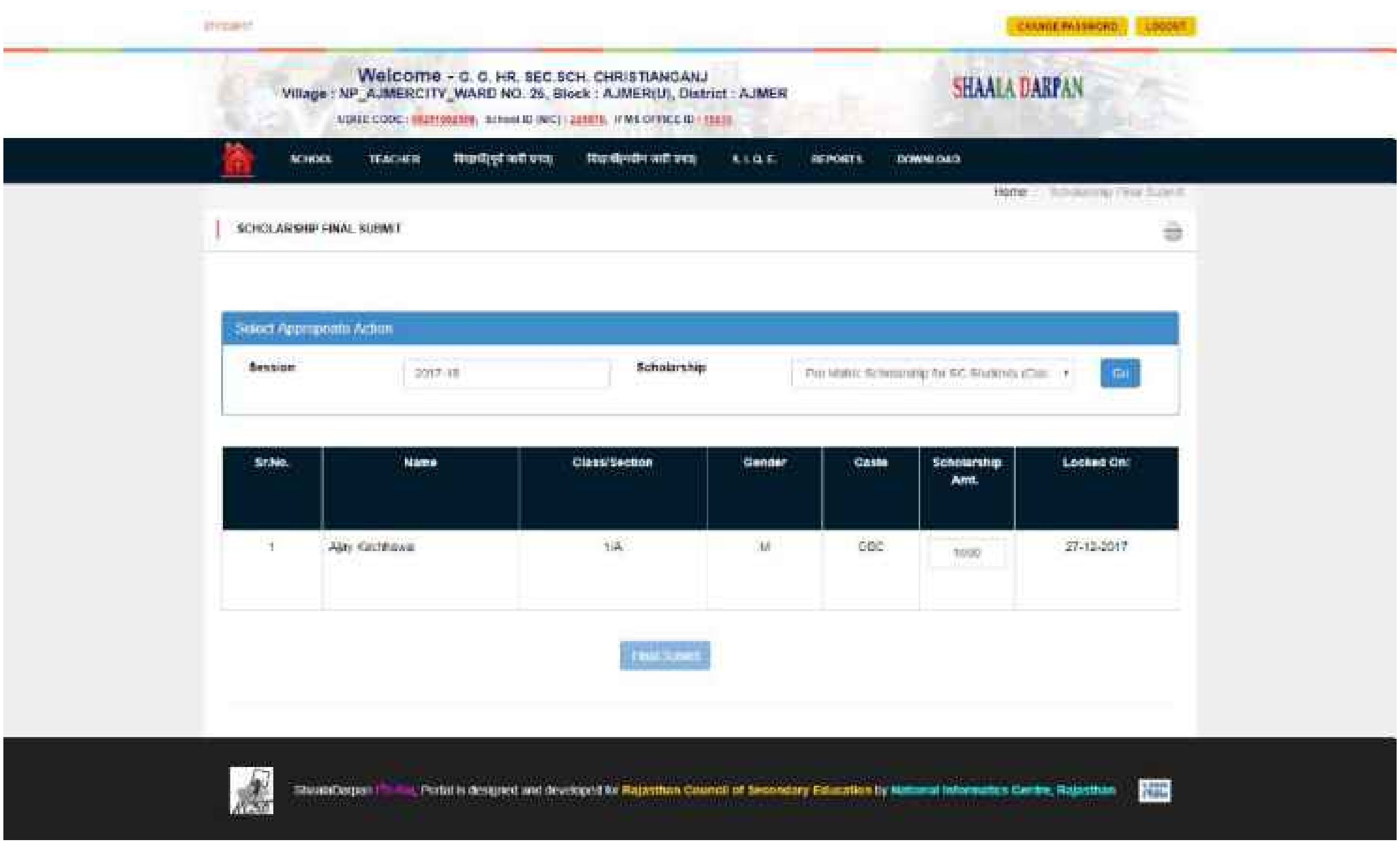

www.rajteachers.com